Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जयपुर में पुलिस थाना खोह–नागोरियान का सहायक उपनिरीक्षक पुलिस एवं दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) 50 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **ट्रेप कार्यवाही के दौरान तलाशी में आरोपी स.उ.नि. से 1 लाख 82 हजार रुपये की संदिग्ध नकद राशि भी बरामद हुई**

जयपुर, *23 अक्टूबर, बुधवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. की जयपुर नगर–तृतीय इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये **बलबीर सिंह सहायक उपनिरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना खोह–नागोरियान, जयपुर आयुक्तालय एवं उसके दलाल केशव सिंह (प्राईवेट व्यक्ति)** को परिवादी से **50 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर नगर–तृतीय इकाई को परिवादी द्वारा एक शिकायत इस आशय की दी गई कि उसके एवं उसके भाई के विरूद्ध दर्ज मुकदमें में कार्यवाही नहीं कर आरोपी नहीं बनाने की एवज में आरोपी अनुसंधान अधिकारी बलबीर सिंह सहायक उपनिरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना खोह–नागोरियान, जयपुर आयुक्तालय द्वारा अपने दलाल केशव सिंह (प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से **1 लाख रुपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जयपुर–द्वितीय के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राहुल कोटोकी** के सुपरवीजन में ए.सी.बी. की जयपुर नगर–तृतीय इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ज्ञान प्रकाश नवल** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री सुरेश स्वामी** द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी दलाल केशव सिंह (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से **50 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में आरोपी बलबीर सिंह सहायक उपनिरीक्षक पुलिस को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उल्लेखनीय है कि ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी बलवीर सिंह स.उ.नि. के थाना परिसर में स्थित सरकारी आवासीय क्वाटर की तलाशी में **1 लाख 82 हजार रुपये** की संदिग्ध नगद राशि भी बरामद हुई है, जिसके संबंध में आरोपी कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाया।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** के सुपरवीजन में आरोपीगण से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।